(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 382–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–12–2011 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पंधाना जिला खण्डवा, प्रकरण कमांक 17/अ–27/2010–11.

.....

1–रमणलाल पिता राजाराम
2–सुखलाल पिता राजाराम
3–टुट्ल्या पिता राजाराम
4–भगवान पिता राजाराम
5–पुनईबाई पिता राजाराम
6–श्रीमती मुनईबाई पुत्री राजाराम
7–श्रीमती सुमनबाई पुत्री राजाराम
निवासी पंधाना तहसील पंधाना, जिला खण्डवा
8–श्रीमती कमलाबाई पुत्री राजाराम
निवासी रूस्तमपुरा तहसील पंधाना जिला खण्डवा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–पार्वती पति शिवराम
2–सीताराम पिता रूखडु
3–दयाराम पिता शंकर
निवासीगण पंधाना तहसील पंधाना, जिला खण्डवा

..... अनावेदकगण

.....

श्री वी0के0गुप्ता , अभिभाषक– आवेदकगण
अनावेदकगण – एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पंधाना जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पंधाना स्थित भूमि सर्वे कमांक 47/1 रकबा 0.04 हेक्टेयर पर दिनांक 3–10–2007 को आदेश पारित कर आवेदकगण का फौती नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–12–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक भूमिस्वामी रूखड़ु के समस्त वारिसानों को सुनवाई का अवसर देते हुये निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 4 वर्ष विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि के बिन्दु पर आदेश पारित नहीं कर सीधे गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं रामसिंह आपस में माता और पुत्र है । रामसिंह द्वारा संशोधन पंजी के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी उसमें शिवराम के वारिसान होने के नाते पार्वती को पक्षकार नहीं बनाया था और पार्वती अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील में रामसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि दोनों शामिल शरीक है अतः पक्षकार के कुसंयोजन के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि पार्वती द्वारा अपने हिस्से की भूमि विकय कर दी है इसलिये प्रश्नाधीन भूमि में उसका कोई हित नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में अनुपस्थिति रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी की जानकारी में यह तथ्य आ चुका

था कि तहसीलदार के समक्ष रमणलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र शिवराम के पत्नी/बच्चों के नाम का उल्लेख था, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में अनावेदकगण के नाम छोड़ दिये गये है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं कर तहसीलदार के आदेश में अनावेदकगण के नाम जोड़े जाने के निर्देश देना चाहिये थे । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पंधाना जिला खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2011 निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय को तहसीलदार के आदेश में अनावेदकगण के नाम जोड़े जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर